न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
040/2017 (GCMS 2017/00123)	01.12.2017	29.01.2021

अनवान

मंजूलता पिता भंवरलाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पाछुन्दा तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़।

निगराकार

बनाम

ग्राम पंचायत आंवलहेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत आंवलहेडा तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ ।

गैर निगराकार

–:: निगरानी अंतर्गत धारा 97 रा0पं0अ0 विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.05.2017 ग्राम पाछुन्दा में आबादी विस्तार बाबत् ::–

उपस्थिति :– श्री सत्यनारायण ईनाणी — निगराकार
अनुपस्थित — गैर निगराकार

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत आंवलहेड़ा ने अपने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.05.2017 द्वारा ग्राम पाछुन्दा में आराजी संख्या 332 के बटा नंबर 870 व 871 रकबा क्रमशः 0.32 व 0.04 हेक्टेयर बिलानाम को आबादी में लेने का प्रस्ताव किया, इसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का प्रस्ताव विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। योग्य ग्राम पंचायत ने दुष्प्रेरणा से अपने मिलने वाले अतिक्रमियों को लाभ देने की बदनियति से यह प्रस्ताव पारित किया, जो निरस्त किए जाने योग्य है। आराजी संख्या 872/332 रकबा 0.43 हैक्टर मेरे खातेदारी की होकर मेरे कब्जे काश्त में है एवं नक्शा में आराजी नंबर 870/332 व 871/332 व 872/332 की कोई तरमीम ही नहीं हुई है, ऐसी अवस्था में कौन सा भू–भाग आबादी हेतु प्रस्तावित किया जा रहा ह, और कौन सा भ–़भाग मुझ प्रार्थीया के खातेदारी का है, यह कैसे माना जा सकता है। नक्शे से ज्ञात भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्ताव मौके पर अनावश्यक विवाद पैदा करने का कुत्सित प्रयास है। इस आराजी के एक तरफ सड़क है और दो तरफ नाला है। इस आराजी में कोई भाग आबादी हेतु प्रस्तावित किए जाने योग्य ही नहीं है। ग्राम वासियों ने भी इसका विरोध किया है क्योंकि यह जगह सड़क व नाले के मध्य है, और यहां पर लोग–देवता(सगसजी) का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:31 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राचीन स्थान है, जहां पर जागरण आदि होते हैं। ग्राम के लोग इकट्ठे होते हैं। ग्राम पंचायत ने इस बाबत कोई मौका मुआयना भी नहीं किया, और न ही कोई पर्चा मौका बनाया। ग्रामवासियों का विरोध था। इस भूमि में होकर ग्राम की मवेशी उत्तर दिशा में स्थित चरनोट में चरने जाती है, एवं उत्तर तथा पूर्व दिशा में स्थित नाले में पानी पीती है। मवेशियों के ठहरने व बैठने का एक मात्र विश्राम स्थल है जो किसी प्रकार से आबादी विस्तार हेतु दिए जाने योग्य नहीं है। पटवार हल्का ने अपने पर्चा मौका दिनांक 08.06.2017 में यह अंकित किया है कि इस भूमि में वर्तमान में बाड़े बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अतिक्रमियों को बेदखल करने की बजाय उपकृत करने हेतु यह षड्यंत्र किया जा रहा है, और यह भी अंकित करवाया गया है कि यह भूमि आबादी से मिली हुई है, जबकि वास्तव में यह भूमि आबादी से काफी दूर होकर बीच में कृषि भूमि स्थित है। यही नहीं पटवारी हल्का पर भी दबाव डालकर उक्त प्रस्ताव की क्रियान्वित हेतु आवश्यक पर्चा मौका वह मौका जांच रिपोर्ट आदि कागजात मौके पर जांच किए बिना ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित ''न्याय आपके द्वार'' कैंप में बैठाकर अपने मन मुताबिक रूप से तैयार करवाए गए हैं। जिसकी पुष्टि हेतु महिपाल पुत्र मुरलीधर ब्राह्मण निवासी पाछुन्दा का शपथ पत्र पेश है। यह सारी कार्रवाई अवैध है, क्योंकि पंचायत ने तो मौका देखा, और न ही प्रस्ताव में सही आराजी नंबर अंकित किए हैं। आराजी संख्या 870/332 को प्रस्तावित करना बताया है जबकि मूल प्रस्ताव में आराजी संख्या 470/332 अंकित किया गया है, एवं प्रस्ताव संख्या 3 के बजाय 2 अंकित की गई है। मौके पर यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है। यहां पर छायादार वृक्ष लगे हुए हैं, एवं लोक देवता का स्थान है। जहां जागरण पूजा आदि अवसर पर लोग इकट्ठे होते हैं। पास में ही सार्वजनिक श्मशान हैं। इस भूमि में से होकर बेगू रावतभाटा एवं जोगणिया माता सड़क जाती है एवं कुछ प्रभावी व रसूखदार लोगों ने रोड को संकड़ी कर अनाधिकृत कब्जे कर रखे हैं, जिनके अतिक्रमण हटाने के बजाय उनको उपकृत करने हेतु यह षड्यंत्र किया जा रहा है, जबकि इस भूमि पर आबादी विस्तार करने का कोई औचित्य ही नहीं है, अतः प्रार्थना है कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.05.2017 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 16.02. 2018को गैर निगराकार बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से गैर निगराकार के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत आंवलहेडा का अभिलेख तलब किया गया। इस पर विकास अधिकारी, बेंगूॅ के पत्रांक/स्थापना/2018/860 दिनांक 21. 03.2018 से अभिलेख प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 29.01.2021 को अधिवक्ता निगराकार द्वारा बहस का निवेदन किया गया। इस पर अधिवक्ता निगराकर द्वारा की गई बहस पत्रावली को एकतरफा सुना। विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम पंचायत आंवलहेड़ा ने अपने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.05.2017

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:31 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा ग्राम पाछुन्दा में आराजी संख्या 332 के बटा नंबर 870 व 871 रकबा क्रमशः 0.32 व 0.04 हेक्टेयर बिलानाम को आबादी में लेने का प्रस्ताव किया। ग्राम पंचायत ने दुष्प्रेरणा से अपने मिलने वाले अतिक्रमियों को लाभ देने की बदनियति से यह प्रस्ताव पारित किया, जो निरस्त किए जाने योग्य है। आराजी संख्या 872/332 रकबा 0.43 हैक्टर मेरे खातेदारी की होकर मेरे कब्जे काश्त में है एवं नक्शा में आराजी नंबर 870/332 व 871/332 व 872/332 की कोई तरमीम ही नहीं हुई है, ऐसी अवस्था में कौन सा भू–भाग आबादी हेतु प्रस्तावित किया जा रहा ह, और कौन सा भ–ूभाग मुझ प्रार्थीया के खातेदारी का है, यह कैसे माना जा सकता है। नक्शे से ज्ञात भी नहीं होता है। इस भूमि में होकर ग्राम की मवेशी उत्तर दिशा में स्थित चरनोट में चरने जाती है, एवं उत्तर तथा पूर्व दिशा में स्थित नाले में पानी पीती है। मवेशियों के ठहरने व बैठने का एक मात्र विश्राम स्थल है जो किसी प्रकार से आबादी विस्तार हेतु दिए जाने योग्य नहीं है। मौका जांच रिपोर्ट आदि कागजात मौके पर जांच किए बिना ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित ‘‘न्याय आपके द्वार’’ कैंप में बैठाकर अपने मन मुताबिक रूप से तैयार करवाए गए हैं। जिसकी पुष्टि हेतु महिपाल पुत्र मुरलीधर ब्राह्मण निवासी पाछुन्दा का शपथ पत्र पेश है। यह सारी कार्रवाई अवैध है। इस भूमि पर कुछ प्रभावी व रसूखदार लोगों ने रोड को संकड़ी कर अनाधिकृत कब्जे कर रखे हैं, जिनके अतिक्रमण हटाने के बजाय उनको उपकृत करने हेतु यह षड्यंत्र किया जा रहा है, जबकि इस भूमि पर आबादी विस्तार करने का कोई औचित्य ही नहीं है, अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जावें ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का मनन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के प्रावधानुसार –

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may,either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:31 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/ 3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। प्रावधानानुसार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश/निर्णय के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने की क्षेत्राधिकारित इस न्यायालय को प्राप्त है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम पंचायत आंवलहेडा द्वारा आबादी विस्तार के संबंध मे कोरम मे सर्वसम्मति से आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्णय लिया जाता है एवं पत्रावली में उक्त विवादित आराजीयात को आबादी हेतु सेट–अपार्ट किया जा चुका है ऐसा कोई तथ्य रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.05.2017 में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा कोई आदेश/निर्णय पारित किया जाना प्रकट नहीं होता है एवं मात्र विवादित आराजीयात को आबादी हेतु सेट–अपार्ट किये जाने बाबत् प्रस्ताव पारित किया जाना ही प्रकट होता है, यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रश्नगत आराजीयात आबादी हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार निर्णय किया जाना शेष है, जिस संबंध में सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित होना प्रकट है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत आंवलहेडा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.05.2017 में किसी भी प्रकार विधिक भूल/त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, जिससे अधीनस्थ ग्राम पंचायत आंवलहेडा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.05.2017 में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होना प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 को अदम साक्ष्य एवं विधि के प्रावधानों के अनुसरण में सुसंगत नहीं पाये जाने पर खारीज की जाती है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:31 IST
Reason: SelfAttested